

**GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR  
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA  
(RAILWAY BOARD)**  
.....

**No.E(NG)I-2006/PM10/2**

**New Delhi, dated 23-5-2007**

**The General Manager (P)  
All Indian Railways and  
Production Units.  
(As per standard list)**

**Sub:- Filling up the post of Chief Laboratory Supdt. in scale  
Rs.7450-11,500.**

Reference para 165(5) of IREM, Vol.I, 1989 Edition as modified vide ACS No.128 issued under this Ministry's letter No.E(NG)II/2001/RR-1/20 dated 12.11.2001 and instructions contained in their letter of even number dated 4.9.2001 regarding filling up posts in various grades in the cadre of Laboratory Supdts. and Chief Laboratory Superintendent in the pay scale of Rs.5500-9000, Rs.6500-10,500 and Rs.7450-11,500 respectively by promotion of staff in the respective immediate lower grade with qualifications/criteria as indicated in the extant procedure ibid.


2. References are being received by this Ministry seeking their decision whether Laboratory staff having the qualification of B.Sc.(Chemistry) but not the qualification of Diploma/Certificate in Medical Laboratory Technology including those recruited to the then apex grade Rs.550-900/Rs.1640-2900 revised to Rs.5500-9000, should be eligible for promotion. The matter has been reviewed by this Ministry who have in modification/amplification of extant procedure/instructions referred to above, decided as under in respect of staff in service as on 1.8.98:-

- i) those recruited directly to the grade Rs.550-900/1640-2900 (now revised to 5500-9000) as Lab.Supdt. with pre-revised qualification of M.Sc.(Chemistry) with two years' experience or B.Sc.(Chemistry) with five years' experience will be eligible for consideration for promotion to grades Rs.6500-10,500 and Rs.7450-11,500 on completion of two years residency in the respective lower grade.
- ii) those recruited to grade Rs.1400-2300 (now revised to 5000-8000) with qualification of B.Sc.(Chemistry) with one year training in Public Health Laboratory will also be eligible for consideration for promotion to further higher grades in the hierarchy on completion of two years residency in the respective lower grade.



- iii) those not recruited directly to above grades but having the qualifications indicated minus pre-appointment experience or training, will also be eligible for promotion to higher grades on completion of a minimum of two years service in the respective lower grade; service in the Railways as Para-medical staff substituting for prescribed pre-appointment experience/training

Please acknowledge receipt.

  
(J.S. Gusain)  
Director Estt.(N)  
Railway Board

No. E(NG)I-2006/PM10/2

New Delhi. Dated 23-05-2007

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.
7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.
10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.
11. The Secretary Railway Board Promotee Officers Association, Room No.341-C, Rail Bhawan, New Delhi.



भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एन जी)I-2006/पी एम-10/2

नई दिल्ली, दिनांक 23 .5.2007

महाप्रबंधक (कार्मिक),  
सभी भारतीय रेलें एवं  
उत्पादन इकाइयां  
(मानक सूची के अनुसार)

**विषय:- 7450-11,500 रु. के वेतनमान में मुख्य प्रयोगशाला अधीक्षक का पद भरा जाना.**

इस मंत्रालय के 12.11.2001 के पत्र सं. ई (एन जी)II/2001/आर आर-1/20 के अंतर्गत जारी अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 128 के तहत यथासंशोधित भा.रे.स्था.नि., वाल्यूम I, 1989 संस्करण के पैरा 165 (5) और 4.9.2001 के समसंख्यक पत्र में अंतर्विष्ट अनुदेशों का अवलोकन करें जो 5500-9000 रु., 6500-10,500 रु. और 7450-11,500 रु. के वेतनमान में क्रमशः प्रयोगशाला अधीक्षकों और मुख्य प्रयोगशाला अधीक्षक संवर्ग के विभिन्न ग्रेडों में पदों को उपर्युक्त मौजूदा कार्यविधि के अनुसार अर्हता/मानदंड सहित संबंधित आसन्न निम्नतर ग्रेड के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने के संबंध में है.


2. इस मंत्रालय में इस संबंध में निर्णय हेतु संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं कि क्या ऐसे प्रयोगशाला कर्मचारी, जिनके पास बी. एस. सी. (रसायन शास्त्र) की अर्हता है परंतु चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र की अर्हता नहीं है, इनमें वे प्रयोगशाला कर्मचारी भी शामिल है, उस समय के शीर्ष ग्रेड 550-900 रु./1640-2900 रु., जिसे 5500-9000 रु. में संशोधित किया गया, में भर्ती हुए थे, पदोन्नति के लिए पात्र होंगे. मामले की इस मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गयी है और उपर्युक्त मौजूदा कार्यविधि/अनुदेशों के आशोधन/प्रवर्धन में 1.8.98 को सेवारत कर्मचारियों के संबंध में निम्नानुसार विनिश्चय किया है :-

- i) दो वर्ष के अनुभव सहित एम. एस. सी. (रसायन शास्त्र) या पाँच वर्ष के अनुभव सहित बी.एस.सी. (रसायन शास्त्र) की संशोधन पूर्व अर्हता सहित प्रयोगशाला अधीक्षक के रूप में 550-900 रु./ 1640-2900 रु. (जिसे अब 5500-9000 रु. के रूप में संशोधित किया गया है) के ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए कर्मचारी, संबंधित निम्नतर ग्रेड में दो वर्ष की रेजीडेंसी के पूरा होने पर 6500-10,500 रु. और 7450-11,500 रु. के ग्रेडों में पदोन्नति के लिए विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे.



- ii) पब्लिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक वर्ष के प्रशिक्षण सहित बी.एस.सी (रसायन शास्त्र) की अर्हता सहित 1400-2300 रु. (जिसे अब 5000-9000 रु. के रूप में संशोधित किया गया है) के ग्रेड में भर्ती किए गए कर्मचारी भी संबंधित निम्नतर ग्रेड में दो वर्ष की रेजीडेंसी के पूरा होने पर आगे उच्च ग्रेडों में क्रमानुसार पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे.
- iii) वे कर्मचारी, जो उपर्युक्त ग्रेडों में सीधे भर्ती नहीं हुए हैं और जिनके पास निर्दिष्ट अर्हता तो है, परन्तु नियुक्ति पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण की अर्हता नहीं रखते हैं, भी संबंधित निम्नतर ग्रेड में न्यूनतम दो वर्षों की सेवा के पूरा होने पर उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति; निर्धारित नियुक्ति पूर्व अनुभव/प्रशिक्षण के लिए प्रतिस्थापित पैरा मेडिकल कर्मचारियों के लिए रेलवे में सेवा, के लिए पात्र होंगे.

कृपया पावती दें



(जे. एस. गुसाई)

निदेशक स्था (अराज)

रेलवे बोर्ड.

सं. ई (एन जी)I-2006/पी एम-10/2

नई दिल्ली, दिनांक 23.5.2007

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, आल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली. (35 प्रतियां)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा राष्ट्रीय परिषद, कर्मचारी पक्ष के सचिव, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली. (60 अतिरिक्त प्रतियां)
4. महासचिव, फेडरेशन आफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रामोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)